International Journal of Scientific Research in Science and Technology
© 2018 IJSRST | Volume 4 | Issue 8 | Print ISSN: 2395-6011 | Online ISSN: 2395-602X

बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में प्राथमिक शिक्षा की दशा एवं दिशाएँ (अनुसूचित जाति के संदर्भ में)

डॉ0 पवन कुमार
एम.ए., पीएच.डी. (राजनीति विज्ञान)
बी0आर0ए0 बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर
(बिहार)

भारत एक प्रजातांत्रिक और समाजवादी गणराज्य के रूप में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में प्रजातांत्रिक शासन की व्यवस्था की गई। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, तथा 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ। भारत रत्न बाबा साहेब डॉ0 भीम राव अम्बेडकर की अध्यक्षता (ड्राफ्ट कमीटी) में भारतीय संविधान का निर्माण कर 26 जनवरी 1950 को प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली व्यवस्था को लागू किया गया। भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष में रहनेवाले प्रत्येक समुदाय के सदस्यों को समानता का अधिकार दिया गया है चाहे वह किसी वर्ग, किसी जाति, किसी धर्म या किसी समुदाय में रहनेवाला व्यक्ति हो। कोई भी भारतीय नागरिक किसी दूसरे

भारतीय नागरिक पर किसी धर्म, किसी वर्ग, जाति या समुदाय के आधार पर प्रधानता का अधिकार नहीं दिया गया है।

परन्तु आजादी के 71 वर्ष गुजर जाने के बाद भी समाज में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विषमता साफ तौर से आज भी दिखाई देता है। वर्तमान समय में आज भी सामाजिक विषमता, आर्थिक विषमता, राजनीतिक विषमता और शैक्षणिक विषमता हमारे समाज में मौजूद है। इन सामाजिक परिवेश में अनुसूचित जातियों की स्थिति और भी दयनीय एवं शोचनीय है। अनुसूचित जातियों में सामाजिक विषमता, आर्थिक विषमता, शैक्षणिक विषमता मौजूद है। भारतीय समाज में अनुसूचित जाति के लोग वर्षों से ही नहीं, सदियों से वर्ण–व्यवस्था के तहत शोषित, पीड़ित एवं उपेक्षित होकर अयोग्यताओं का शिकार बने हुए है। इनके जीवन में हरेक मोड़ पर दुर्व्यवहार, प्रताड़ना, शोषण और लाचारी का सामना करना पड़ता है। भारत के प्रजातांत्रिक और समाजवादी गणराज्य में मनुष्य ही मनुष्य का सुध न ले, उसे बिल्कुल ही भूल जाए, उन्हे जानने–पहचानने का कोशिश भी न करे, यह कितना बड़ा अध्यात्मिक अपराध और समाजिक पाप है। जरा इसकी कल्पना तो कीजिए, क्या यही सामाजिक न्याय है? ज्ञान–विज्ञान की हम बड़ी–बड़ी अनुसंधान करते है, पर अपने ही देश में करोड़ों मानव के प्रति हम तथाकथित सभ्य मनुष्यों का घोर उपेक्षा का भाव है। ''वसुधैव कुटुम्बकम'' का उद्घोष निरंतर तब क्या अर्थ निकलता है? यह उद्घोष तभी सार्थक होगा, जब भारत के

प्रत्येक नागरिक भारतीय अनुसूचित जातियों के साथ न्यायप्रिय सद्व्यवहार कर उन्हें उपेक्षा शोषण और अन्याय से मुक्त किया जाए। सामाजिक प्रतिष्ठा और न्याय देकर ''वसुधैव कुटुम्बकम'' के उद्घोष को सार्थक बनाया जा सकता है।

प्राचीनकाल से मनुस्मृति में अंकित वर्ण व्यवस्था को त्याग कर भारतीय संविधान आधारित प्रजातांत्रिक व्यवस्था को पूर्ण रूप से अपनाना ही होगा, तभी दुनियाँ के अन्य विकसित देशों के साथ भारत भी उनके पंक्ति में अपने को ला सकेगा।

देश और प्रदेश में अनुसूचित जातियों पर अत्याचार और मारपीट की खबरे आये दिन अखबारों की सुर्खियाँ बनती है। कभी दबंगों द्वारा मजूदरी माँगने पर उन्हें पीटा जाता है, तो कभी मंदिर में प्रवेश या कुएँ से पानी लेने पर रोक लगा दी जाती है। ये घटनाएँ दर्शाती है कि कुछ क्षेत्रों में छुआछूत, जात–पात, ऊँच–नीच की मानसिकता अब भी कायम है। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि अनुसूचित जातियों को बचाने के लिए न तो सरकार की व्यवस्थाएँ कारगर सिद्ध हो पा रही है और न हीं कानून। अपने नागरिकों की रक्षा करना तथा उन्हें संविधान प्रदत्त अधिकार दिलाना सरकार की जिम्मेवारी है। साथ ही दबंगई के नाम पर कानून हाथ में लेने वाले पर भी कड़ी कारवाई की जानी चाहिए तभी इस तरह की घटनाओं पर रोक लगेगी।

अतः भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्त्तव्य है कि इन उपेक्षित अनुसूचित जातियों के समुदाय की ओर ध्यान दे और सुधार के लिए प्रयत्नशील हो, तब वह दिन दूर नहीं

जब आज के ये पिछड़ा, दलित, शोषित, पीड़ित अनुसूचित जातियाँ कल सभ्य और सुनागरिक के रूप में प्रतिष्ठित होगी।

भारत को आजादी मिलने के बाद भारत के लोगों ने ऐसा सोचा कि गुलामी की जंजीरे फेकने के बाद सभी भारतवासियों को समान अवसर आगे बढ़ने के लिए मिलेगा, परन्तु ऐसा नहीं हुआ। 2011 के जनगणना के अनुसार देश की लगभग आधी आबादी अभी भी निरक्षर है। साक्षरता के दौड़ में केरल सबसे उपर है तो दूसरी ओर बिहार राज्य सबसे नीचे है। इस परिवेश में अनुसूचित जाति को तो कुछ कहना ही नहीं है, इनकी स्थिति प्रत्येक दृष्टिकोण से निम्न स्तर की है। वर्ष 2011 के अनुसार केरल की साक्षरता दर 90.92% है वहीं बिहार राज्य का साक्षरता दर 63.82% है। पुरूषों का साक्षरता दर 73.39% एवं महिलाओं का 53.33% है जिसमें बिहार राज्य में अनुसूचित जाति के पुरूषों का साक्षरता दर मात्र 32% एवं महिलाओं का मात्र 15% है।

वर्त्तमान समस्या का उद्देश्य बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिला में अनुसूचित जातियों की सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना है। मुजफ्फरपुर जिला बिहार राज्य के एक महत्वपूर्ण जिला के रूप में जाना जाता है। यह जिला पिछले कई वर्षों से लगातार समाचार पत्रों की सुर्खियों में है। यहाँ आये

दिन सामाजिक बदलाव के घटनाक्रम होते रहते है। सामाजिक परिवेश संतुलित नहीं है। एक तरफ सवर्णों के धनाढ्य लोग है, उनके पास कृषि के लिए अधिकतम भूमि है, वे आज भी आजादी के इतने दिनों बाद भी जमींदारों के जैसा बर्ताव ग्रामीण इलाकों में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ करते है। मुजफ्फरपुर जिला में अनुसूचित जाति की स्थिति काफी दयनीय है। अनुसूचित जातियों के बीच गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, तंगहाली व्याप्त है। यह सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा है। उनमें शिक्षा की अत्यंत कमी है। मुजफ्फरपुर जिला का साक्षरता दर अन्य जिले से कम है। वे जागरूक नहीं है। अंधविश्वास के साथ ये जकड़े हुए है। राजनैतिक चेतना का ग्राफ भी बहुत नीचे है।

अधिकांशतः अनुसूचित जातियों के पास अपना खेत नहीं है। वे दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपने परिवार का भरण–पोषण करते है। वैशाली से मुजफ्फरपुर की दूरी 35 कि0मी0 है। शांति का स्थान इतना निकट रहने के बावजूद मुजफ्फरपुर जिलाशांति के स्थान पर लड़ाई–झगड़ा, आपसी मतभेद, ऊँच–नीच का भेदभाव, जात–पात इत्यादि व्याप्त है।

उपरोक्त परिवेश में प्रस्तुत लेख का मुख्य उद्देश्य मुजफ्फरपुर जिला के अनुसूचित जातियों की सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक स्थिति का मूल्यांकन करना है। उनके शैक्षणिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति

और राजनीतिक स्थिति का अध्ययन कर विश्लेषण करना है। इसके पश्चात् कमजोरी किस स्तर पर है इसको ढूँढ़ना है जिससे उपरोक्त स्थिति में किस प्रकार सुधार किया जाए? आर्थिक संकटों को कैसे ठीक किया जाए? सामाजिक स्तर को कैसे उपर उठाया जाए? अंधविश्वास में जकड़े लोगों को किस प्रकार निदान किया जाए? राजनीतिक चेतना किस प्रकार पैदा किया जाए? उनके कर्तव्यों तथा अधिकारों की जानकारी किस प्रकार दिया जाए? इन सब बातों पर विचार करना, विश्लेषण करना एवं संबंधित कारणों का निदान करना, राजनीतिक चेतना किस प्रकार पैदा किया जाए। उपरोक्त सारे स्थितियों का मूल्यांकन करते हुए परिवर्तन एवं सुधार के लिए अपना सुझाव देना लेख का मुख्य उद्देश्य है। उनकी स्थिति परिवर्तन एवं सुधार का विश्लेषण कैसे करते है, इसके लिए पाँच विधियाँ प्रमुख रूप से निम्नांकित है।

(1) **ऐतिहासिक विधि**– यह विधि प्राचीन समाज में तथा उनके मध्यकाल में चिरस्थायित्व पर केन्द्रित करती है। कुछ विद्वानों का मत है और विश्वास है कि धर्मग्रन्थों तथा अतीत के उपलब्ध अभिलेखों से उदाहरण प्रस्तुत करना हीं ऐतिहासिक विश्लेषण नहीं है।

(2) अनुभविक वैयक्ति अनुसंधान विधि ।

(3) अन्तः व्यक्तिगत शक्ति के मूल्यांकन की अनुभाविक विधि ।

(4) मात्रामूलक अनुसंधान विधि ।

(5) अनुभाविक मात्रामूलक और गुणात्मक प्रश्नावली विधि ।

इस विधि में परिवार से बाहर तथा भीतर अर्न्तव्यक्तिगत संबंधों तथा उदारता से व्यवहार तथा विश्लेषण के लिए मात्रामूलक आँकड़ों का प्रयोग किया जाता है। यह उपागम अवधारणाओं परिकल्पनाओं, तथा सिद्धान्तों की खोज में प्रतिबंध नहीं लगाता।

उपरोक्त विधियों में वर्तमान सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन के सैद्धांतिक प्रस्तावों का प्रयोग भी किया जाता है।

अतः इन सब बातों को देखते हुए अध्ययन का उद्देश्य यह होगा कि इन पहलुओं पर विस्तार से अध्ययन करके उनके उत्थान के लिए उपाय सुझाया जाय, ताकि उन्हें समाज के मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। इसकी इस दयनीय स्थिति का विश्लेषण कर ध्यान देने की आवश्यकता है।

प्रस्तुत लेख प्रबंध इस परिकल्पना के साथ शुरू होता है कि समाज के वंचित लोगों के शैक्षणिक स्थिति में सुधार लाना एक सरकारी प्रक्रिया है, लेकिन सभी समुदायों के बीच शैक्षणिक स्तर का मान एक समान नहीं दिखती है। हाल के वर्षों में अनुसूचित जातियों तथा जन–जातियों मात्रात्मक दृष्टि से शैक्षणिक स्तर में आंशिक सुधार दिख रहा है, लेकिन गुणात्मक दृष्टि से शैक्षणिक सुधार बहुत कम हुआ है। इसके बावजूद भी उनके राजनीतिक एवं सामाजिक चेतना

में एक नई जागृति पैदा हुई है। समाज एवं राज्य के सभी गतिविधियों में उनकी भूमिका तेजी से महत्वपूर्ण हो रही है।

प्रस्तुत लेख प्रबंध ऐतिहासिक उपागम पर आधारित है। लेकिन इस लेख प्रबंध की विषय–वस्तु का विश्लेषण राजनीतिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से किया गया है, ताकि विषय की समस्या को वास्तविक रूप से समझा जा सके। इस लेख को पूरा करने के लिए विश्लेषणात्मक एवं समीक्षात्मक अध्ययन पद्धति का सहारा लिया गया है।

संदर्भश्रोतः–

1. हट्टन–भारत में जाति प्रथा 'अनुवादक मंगलनाथ सिंह, पृष्ठ–111
2. ऋग्वेद संहिता, वैदिक संशोधन मंडलपूना । 19.51
3. –वहीं–
4. रानाडे दि सोशल स्टडीज ।
5. गजेन्द्र गढ़कर 'ओपन लाइब्रेरी, पृष्ठ – 103
6. महात्मा गांधी, रिमूवल ऑफ अनटचैबिलीटी नवजीवन पब्लिकेशन, अहमदाबाद, 1949, पृष्ठ–192
7. नेसफील्ड 'जर्नल ऑफ गार्ड्रेन हिस्ट्री– 1993, पृष्ठ, 69–89

8. मेसन अल्कोट; जाति व्यवस्था के मूल आधार ।

9. बिहार राज्य दलीत वर्ग संघ का वार्षिक प्रतिवेदन 1958–59